बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

संतोष मैन्शन, बी0-ब्लॉक, आर0पी0एस0 विधि महाविद्यालय के निकट,
रघुनाथपथ, दानापुर, पटना-801503
(विबसाइट-www.bpssc.bih.nic.in)

महत्वपूर्ण सूचना

संदर्भः विज्ञापन संख्या-01/2017

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4/ब1-101/2004-7025 दिनांक-30 अगस्त, 2017 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-50/326201/पी-2, दिनांक-05.09.2017 के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के 1717 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक- 16.09.2017 को विज्ञापन संख्या 01/2017 प्रकाशित किया गया था ।

चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 1665 पुलिस अवर निरीक्षकों का अंतिम रूप से चयन करते हुए दिनांक-09.03.2019 को चयन सूची प्रकाशित की गयी थी ।

उक्त विज्ञापन के अंतर्गत कुछ ऐसी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच-माप परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था जो गर्भवती पायी गयी थीं ।

उक्त महिला अभ्यर्थियों में एक अभ्यर्थी खुशबु शर्मा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या-7661/2019 (एस0एल0पी0(सी0) संख्या-14225/2019 से उद्‌भूत) दायर किया गया । उक्त याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-27.09.2019 को आदेश पारित करते हुए वैसी सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जाँच-माप परीक्षण आयोजित कराने हेतु निदेशित किया गया जो गर्भवती होने के कारण उक्त विज्ञापन संख्या-01/2017 के शारीरिक जाँच-माप परीक्षण में सम्मिलित नहीं हो पायी थीं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2017 की ऐसी सभी महिला अभ्यर्थियों (कुल-85) से दूरभाष एवं ईमेल द्वारा सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सूचना दी गयी कि दिनांक-01.01.2021 को उनका शारीरिक जाँच-माप परीक्षण कराया जायेगा ।

उपरोक्त तय कार्यक्रम के तहत दिनांक-01.01.2021 को महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक जाँच-माप परीक्षण कराया गया । कुल-85 महिला अभ्यर्थियों में से 74 महिला अभ्यर्थी शारीरिक जाँच-माप परीक्षण (PET) के लिए उपस्थित हुईं । इनमें एक महिला अभ्यर्थी गर्भवती होने के कारण चिकित्सक द्वारा PET के योग्य नहीं पायी गयीं । शेष 73 महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक जाँच-माप परीक्षण कराया गया जिनमें 50 महिला अभ्यर्थी दौड़ में असफल हो गयीं एवं 23 दौड़ में सफल हुईं । दौड़ में सफल अभ्यर्थियों (23) के शारीरिक जाँच-माप परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन के उपरांत कुल-4 (चार) अभ्यर्थी सफल हुईं ।

उपरोक्त 4 (चार) सफल अभ्यर्थियों के मेधा का निर्धारण उनका विज्ञापन संख्या–01/2017 की मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक एवं उनकी अपनी कोटि में कट–ऑफ–मार्क्स के आधार पर किया गया ।

(क) दो अभ्यर्थियों (1) याचिकाकर्त्ता खुशबु शर्मा, रौल नम्बर 3110380259 एवं (2) स्वेता कुमारी, रौल नम्बर 3110030098 का प्राप्तांक उनकी अपनी कोटि के कट–ऑफ–मार्क्स से कम होने के कारण वे असफल हो गईं ।

(ख) शेष दो अभ्यर्थी (1) जूली कुमारी, रौल नम्बर 3110060912 एवं (2) नीलम कुमारी, रौल नम्बर 3110350913 का प्राप्तांक उनकी अपनी कोटि के कट–ऑफ–मार्क्स से अधिक होने के कारण दोनों अभ्यर्थी सफल रहीं । अतः उनका अंतिम रूप से चयन किया जाता है । उक्त दोनों अभ्यर्थियों की मूल आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चयनित अभ्यर्थियों को आयोग के विज्ञापन संख्या–01/2019 में विज्ञापित पुलिस अवर निरीक्षक पद की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है ।

अतः उक्त दोनों अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–01/2019 में विज्ञापित अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं की रिक्तयों के विरूद्ध समायोजित किया जाता है । पुलिस अवर निरीक्षक पद के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं की विज्ञापित रिक्तियों की संख्या 131 है जिनके विरूद्ध उक्त दो अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाता है । इनके समायोजन के उपरांत विज्ञापन संख्या–01/2019 में पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की रिक्तियों की संख्या 129 रह जायेगी ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना ।